न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

देवेन्द्र कुमार बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा 131, 136 LR मु.नं. 518 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस पर मनन किया। समग्र पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत आवेदन में वकील प्रार्थी ने संक्षिप्ततः निवेदन किया कि "प्रार्थी के कब्जे काश्त व वाणिज्यक उपयोग की भूमि ग्राम कदमा का बास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित भूमि वर्तमान खसरा सं. 457/88 रकबा 0.0750 हैक्टेयर बारानी प्रथम व खसरा सं. 458/88 रकबा 0.1000 हेक्टेयर अर्थात् 1000 वर्गमीटर वाणिज्यिक उपयोगी है। प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी महोदय, धोद के आदेश क्रमांकः 5257/राजस्व/2016 दिनांक 06.04.2016 के द्वारा खसरा सं. 432/88 रकबा 0.1750 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में से 0.1000 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन वाणिज्यक प्रयोजनार्थ की स्वीकृति जारी हुई, जिसकी अनुपालना में नामांतरकरण सं. 563 दिनांक 25.04.2016 के द्वारा खसरा सं. 458/88 रकबा 0.1000 हेक्टेयर प्रथम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। वाणिज्यक प्रयोजनार्थ व खसरा सं. 457/88 रकबा 0.0750 हेक्टेयर बारानी प्रथम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा तरमीम करके खसरा सं. 458/88 रकबा 0.1000 हेक्टेयर वाणिज्यक प्रयोजनार्थ व खसरा सं. 457/88 रकबा 0.0750 हेक्टेयर किया गया था, जो वर्ष 2016 से नक्शे में सही चल रहा था, परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने नक्शा ऑनलाईन करते समय गलती से नक्शे में खसरा सं. 458/88 की जगह खसरा सं. 457/88 अंकित कर दिये व खसरा सं. 457/88 की जगह खसरा सं. 458/88 अंकित है तथा खसरा सं. 458/88 वाणिज्यक उपयोग में चल रहा परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से नक्शे में खसरा सं. 458/88 की जगह खसरा सं. 457/88 अंकित कर दिया, जिसका राजस्व कर्मचारियों को कानूनी अधिकार नहीं था। खसरा सं. 458/88 जमाबंदी में वाणिज्यक उपयोग में दर्ज है तथा खसरा सं. 457/88 बारानी प्रथम दर्ज है, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने जब नक्शा को ऑनलाईन दर्ज किया तथा खसरा सं. 458/88 के स्थान पर खसरा सं. 457/88 गलत अंकित कर दिया। जब कि पटवारी के पास लट्ठासीट में खसरा सं. 458/88 वाणिज्यक रूप में नक्शा में आज भी दर्ज तथा खसरा सं. 457/88 बारानी में ही नक्शे में दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा यह क्लेरिकल मिस्टेक की गई है। खसरा सं.457/88 के नक्शे में खसरा सं. 458/88 अंकित किये जाकर नक्शे मे संशोधन करके नक्शे को तरमीम किये जाने के तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को आदेश प्रदान किया [illegible]नीय है। प्रार्थी को इस गलत इन्द्राज की जानकारी [illegible]स्व [illegible]ई व नक्शा ट्रेस की नकल निकलवाने पर हुई, जिस[illegible] प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को [illegible] हेतु आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन [illegible] महोदय, सीकर ग्रामीण द्वारा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने तथा माननीय न्यायालय के आदेश से ही दुरूस्ती करने बाबत कहा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:47:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

देवेन्द्र कुमार .... बनाम .... तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा 131,136 LR .... मु.नं. 518 .... वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
	जिस कारण आवेदन माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदन माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का होने से आवेदन उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर नक्शा ट्रेस में खसरा सं. 457/88 के स्थान पर खसरा सं. 458/88 व खसरा सं. 458/88 के स्थान पर खसरा सं. 457/88 अंकित कर दुरूस्त किया जावें।"
	उक्त आवेदन के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/4078 दिनांक 08.12.2025 से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जो कि मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः मुताबिक तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है।
	अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/4078 दिनांक 08.12.2025 के द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम कदमा का बास पटवार हल्का पुरा बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित आराजियात खसरा सं. 458/88 के स्थान पर खसरा सं. 457/88 तथा खसरा सं. 457/88 के स्थान पर खसरा सं. 458/88 दुरूस्ती वर्तमान लट्ठा शीट, राजस्व रिकॉर्ड व ऑनलाईन/ऑफलाईन नक्शे में किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान जिम्मेदार होगें। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./25/4078 दिनांक 08.12.2025 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। आदेश सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।
	उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला सीकर
	Signature Not Verified Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra Date: 2025.12.19 14:47:53 IST Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner